6. ओबीसी आरक्षण का पहला लाभार्थी

"हमारे इंस्टीट्यूट में फायदेफायदों अपने आप ही मिला जाया करते थे। किसी को उसके लिए कोई कठिन प्रदर्शन / पराक्रम करने के लिए परेशान नहीं किया जाता था। हाँ, अगर किसी ने कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तो उसे यथोचित (suitable) न भूल सकने वाला (exemplary) दंड भी दे दिया जाता था।"संकाय चाय क्लब में कॉफी पीते हुए डॉ नरेंद्र मोहन ने कहा।

डॉ मोहन आईएमएक्स (IMX) संस्थान और अपने पिछले नियोक्ता (employer) के बीच समझौते के अंतर्गतदो वर्ष की प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आये थे, जिसके अनुसार संस्थान उन्हेंप्रति वर्ष तीन महीने तक नियोक्ता संगठन के कार्यों में शामिल होने के लिए अनुमति देता था। बदले में नियोक्ता वेतन का अंतर (1/3) का भुगतान करता था और प्रतिनियुक्ति भत्ते काभुगतान भी करताथा। डॉ मोहन ने दूसरों संकाय सदस्यों की तुलना में अधिक और भिन्न भिन्न विषय भी पढ़ाते थे, और शैक्षिक प्रशासन, अनुसंधान और प्रबंध विकास कार्यक्रमों में भी औरों से अधिक ज़िम्मेदारी औरभाग लेते थे।नियोक्ता के कार्य इसके अतिरिक्तथे।

प्रतिनियुक्ति के अंत में, संस्थान ने उन्हें न तो वापस जाने के लिए छोड़ा और न ही स्थायी अवशोषण (permanent absorption) की औपचारिकताओं को पूरा किया।फलतः, पिछले नियोक्ता ने किसी भी लाभ (छुट्टी वेतन, ग्रेच्युटी या भविष्य निधिइत्यादि)को भी हस्तांतरित नहीं किया। और जब उन्हें प्रोफेसरपद के लिए चुना गया, तो उनका वेतन इस तरह से तय किया गया था कि सामान्य वेतन वृद्धि भी9 महीने से स्थगित हो गई। उनका वेतन भी तरह से तय किया गया था कि उनकी अब कुल परिलब्धियां (emoluments) उनकी प्रतिनियुक्तिके समय की कुलपरिलब्धियों (emoluments) सेकम हो गयी थीं।

जब वह एमबीए के अध्यक्ष बने और एमबीए प्रवेश में तीन गुनावृद्धि की, उसी समय चौथा वेतन संशोधन आया, जिसमेंतहत उनका वेतन इस तरह तय किया गया था कि उन्हें एक ऐसे प्रोफेसर की तुलना में 3 (annual increments) कममिलने लगेजिन्हे संशोधन से पहले 2वार्षिक वेतन वृद्धिकममिलता था। । ऐसे कई तरह के झटके (shocks) थे।

"लेकिन अंतिम झटका तो एक मज़ेदार गुरुचाल (master stroke) थी।भारत सरकार ने सन २०१० में संस्थान के पूर्ण प्रोफेसरों (full Professors) के लिए एक तथाकथित एचएजी वेतनमान (HAG Pay Scale)को लागू करने की अनुमति दी, जो कि उनके प्रोफेसर के वेतनमान में संपूर्ण सेवा काल के प्रदर्शन के अनुसार मिलना था ।उस समय तक मैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव (सेवानिवृत्ति) के पास आ चुका था। मैं संस्थान की25 से अधिक वर्षों तक सेवा करने वाला पहला संकाय सदस्य था।

इस दिशा में, पहले अद्वितीय प्रदर्शन आंकने के लिए कुछ अद्भुत मानदंडों का चयन किया गया जो न केवल सरकार के कई दिशानिर्देशों और आदेशों का घोर उल्लंघन करता था, साथ ही भेदभाव भी करता था। कुछ प्रदर्शन मूल्यांकन समिति और बोर्ड के सदस्यों झूठ भी बोले। फिर भी मैं मानदंडों पर पूरा उतर रहा था। अंतिम प्रयास के रूप में, संस्थान ने वेतनमान कार्यान्वयन की तिथि को 3 वर्ष तक स्थगित कर दी, जिससे कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँ। दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड ने साथ ही एक नीति के रूप में निर्णय यह भी लिया गया कि अगर किसी अध्यापक ने पूर्ण प्रोफेसर के रूप में सिर्फ छह साल की सेवाकर दी है, उसके प्रदर्शनका मूल्यांकन किये बिना हीएचएजी स्केल से सम्मानित किया जाए। इस प्रकार, सभी प्रोफेसरों, जिन्होंने छह साल की सेवाकर दी थी (उनको भी जिन्हे प्रोफेसरों की मूल्यांकन समिति ने गैर-निष्पादक (disqualified) कहा था), एचएजी वेतनमान दे दिया गया, केवल डा मोहन को छोड़कर,जिन्होंने संस्थान की 25 वर्ष सेवा की थी।

"तो क्या आपको कभी कोई लाभ नहीं मिला?" कुछ युवा जिज्ञासु संकाय सदस्यों से पूछा।

"नहीं नहीं। मिला ना। मुझे एक बार मिला, लेकिन ओबीसी कोटा आधारित आरक्षण के कारण, हालांकि मैं ओबीसी श्रेणी का नहीं हूं" डॉ मोहन ने कहा।

"कैसे?" संकाय सदस्यों को अब और अधिक उत्सुकता हो गयी।

"असल में, जब मैं यहां आया था, मैं काफी बूढ़ा था, लगभग 40 वर्षों का।के वल 20 साल की सेवा बाकी थी है। फिर सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल कर दी।मुझे तब भी पूर्ण पेंशन नहीं मिलती, जो संभवहो सकता था यदि संस्थान ने मेरे सेवा के हस्तांतरण को ठीक से संभाला होता। सन 2007 में केंद्र सरकार ने ओबीसी कोटा को पेश किया और एमबीए की प्रवेश मेंसं ख्या 54% की वृद्धि करने के लिए कहा। यह एक बढ़िया अवसर था। लेकिन कई आईआईएम उसका विरोध कर रहे थे, संकाय सदस्यों की अत्यधिक कमी के नाम पर। इस विरोधको हल करने के लिए केंद्र सरकार ने 15.3.2007 तक संस्थान में नियमित संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से 65 साल तक बढ़ा दी। मुझे 6 जून, 2008 को सेवानिवृत्तहोना था। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में और बाद में कलकत्ता हाइकोर्ट में गया। लेकिन दोनों ने याचिका खारिज कर दी। हमें ओबीसी कोटा आरक्षण स्वीकार करना पड़ा। इससे मुझे आईएमपी में एमबीए में पहले साल में 85% की वृद्धि करने का मौका मिला और अगले साल तक इसे 10%पार कर लियागया। "

"लेकिन आपको क्या लाभ मिला?" संकाय सदस्यों ने पूछा।

"सबसे पहले, मुझे पूर्ण वेतन में तीन साल की अतिरिक्त सेवा मिली। फिर 20 साल की सेवा पूरा होने

पर पूर्ण पेंशन लाभ मिला। वह भी संशोधित वेतन पर। इसी तरह ग्रैच्युइटी, छुट्टी नकद और अन्य लाभ थे। जो संस्थान द्वारा नकार दिए लाभों से अधिक था संस्थान। इस प्रकार ओबीसी कोटा आरक्षण का मैं एक सच्चा लाभार्थी हूं। ओबीसी छात्र 22 जून को शामिल हुए, लेकिन 6 जून 2008 को मैं सेवानिवृत्ति से बच गया और इसनेमुझे अपने संस्थान में ओबीसी कोटा का पहला लाभार्थी बना दिया। देखी आप ने भगवान की माया? "डॉ मोहन मुस्कुराए।

"ओह। और कुछ? "संकाय सदस्य एक साथ हँसे।

"मुझे लगभग सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों और शैक्षणिक प्रशासन कार्यों में संलग्न होने का अवसर मिला, जो मेरे समय में किसी अन्य संकाय सदस्य को नहीं मिला। इतना ही नहीं आईएमएक्स में मुझे पहले संकाय अध्यक्षों (Deans) में से एक बनाया। बीस वर्षों में पहली बार मुझे,इस संस्थान से एक संकाय सदस्य को,केंद्रीय सरकार की एक संस्थान (आईएमपी) का निदेशक बनने का अवसर मिला। केवल कुछ माह पहले ही 5 साल की छुट्टी देने के नए नियमों को बनाया गया था जिसने मुझे आईएमएक्स के लिए देखे गए सभी सपनों को पूरा करने में मदद की। मैं विभिन शैक्षणिक क्षेत्रों वृद्धि और वित्तीय व्यवहार्यता (viability) में योगदान कर सका। जब मैं आईएमपी में शामिल हुआ, तो 60 एमबीए छात्रों का अंतिम बैच बाहर निकल रहा था और जब मैं 5 साल बाद वापस लौट रहा था तो उस साल 300 छात्रों का पहला जत्था प्रवेश पा रहा था। 7 साल में 5 गुना वृद्धि देखना एक अति सुखद अनुभव था। मुझे यहाँ 1997 में पहली बार सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ाथा, लेकिन आईएमपी में मैं 5 वर्षों में 17 सम्मेलनों का आयोजन करवा सका। डॉक्टरल कार्यक्रम 11वे वर्ष में ही प्रारम्भ हो गया था जबकि हमने यहां (IMX में)16 साल लिए थे। हम एक साल में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) करने को तरसते थे, वहां (IMP में) हम 5 वर्षों में 40 कार्यक्रम आयोजित कर चुके थे। इसके अलावा हम प्रबंध कार्यक्रमों को विभिन शहरों में काम करने वाले अधिकारियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फैला सके। आर्थिक रूप से, हम 5 वर्षों में 85 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड (corpus fund) भी बना चुके थे। मैं और क्या चाहूंगा? बिन मांगे ही भगवान ने कुछ दे दिया इतना, कि अब मांगने में ही शर्म आने लगी मुझको ।"डॉ। मोहन ने बात खत्म की।

युवा संकाय सदस्य सन्न थे और व्यथित भी । क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एचएजी वेतनमान इसी उद्देश्यके लिए किया था? यद्यपि वह यह जान कर प्रसन्न थे कि प्रदर्शन के किसी भी चिंता के बिना वे जीवन में कम से कम उच्चतम वेतनमान प्राप्त कर सकेंगे, आशंकित भी कि क्या कि क्या इस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत में उत्कृष्ट, विश्व स्तर के प्रबंधन संस्थान बनाने जा रहा है?